



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 सितम्बर, 2002

भाद्रपद 21, शक सम्वत् 1924

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1750/सत्रह-वि-1-1 (क)-28-2002

लखनऊ, 12 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 पर दिनांक 11 सितम्बर, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2002)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।

2-उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,-

(एक) खण्ड (क), (ग) और (गग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

“(क) ‘गोमांस’ का तात्पर्य गाय के मांस से है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा मांस नहीं है जो सीलबन्द डिब्बों में हो और उसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में आयात किया गया हो;

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 1
सन् 1956 की
धारा 2 का संशोधन

(ग) 'गोशाला' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन रजिस्ट्रीकृत गोशाला से है;

(गग) 'संस्था' का तात्पर्य धारा 6 के अधीन स्थापित किसी संस्था से है";

(दो) खण्ड (च) निकाल दिया जायेगा।

धारा 3 का
प्रतिस्थापन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी,
अर्थात् :-

"3-तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी प्रथा या रूढ़ि में किसी प्रतिकूल बात गोवध का प्रतिषेध के होते हुए भी, कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर किसी गाय, सांड या बैल का न तो वध करेगा और न वध करवायेगा, न तो उसे वध के लिए प्रस्तुत करेगा और न वध के लिए प्रस्तुत करवायेगा।"

धारा 4 का निकाला
जाना

4-मूल अधिनियम की धारा 4 निकाल दी जायेगी।

धारा 5-क का
संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 5-क में, उपधारा (2) में शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का बढ़ाया
जाना

6-मूल अधिनियम की धारा 5-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी,
अर्थात् :-

"6-राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा आदेश दिये जाने पर किसी संस्थाओं की भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसे विहित किये जायें, गायों, सांडों या बैलों की देखभाल के लिये आवश्यकतानुसार संस्थाएं स्थापित की जायेंगी।

धारा 7 का
प्रतिस्थापन

7-मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी,
अर्थात् :-

"7-(1) कोई व्यक्ति अपनी गाय, सांड या बैल को किसी गोशाला या संस्था गायों आदि का को अभ्यर्पित कर सकता है जो स्थान की उपलब्धता के रख-रखाव अनुसार ऐसी गाय, सांड या बैल को स्वीकार करेगा। इस प्रकार से अभ्यर्पित गाय, सांड या बैल उस व्यक्ति को वापस नहीं जायेगा।

(2) राज्य सरकार ऐसी गायों, सांडों या बैलों की देखभाल के लिए ऐसी अन्य वैकल्पिक और अतिरिक्त व्यवस्था कर सकती है जैसी वह आवश्यक समझे।

(3) कोई गोशाला या कोई संस्था किसी गाय, सांड या बैल को पुलिस या अन्य व्यक्ति से अभिरक्षा के लिए स्वीकार कर सकती है जो उसके स्वामी को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर और ऐसी रीति से और ऐसे प्रभार का भुगतान करने पर, जैसा विहित किया जाय, निर्मुक्त किया जा सकता है।"

धारा 8 का
प्रतिस्थापन

8-मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी,
अर्थात् :-

"8-(1) जो कोई धारा 3, धारा 5 या धारा 5-क के उपबन्धों का उल्लंघन शास्ति करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने का प्रयत्न करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबन्धित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकती है, और ऐसे जुर्माने से, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, दण्डित किया जायेगा।"

धारा 10 का
संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2) में,-

(क) खण्ड (क), (कक), (ख) और (ग) निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे :-

"(घ) गायों, सांडों और बैलों का अभ्यर्पण, उनके स्वीकार करने, उनकी अभिरक्षा और उनको निर्मुक्त करने की प्रक्रिया ;

(घघ) गायों, सांडों और बैलों को निर्मुक्त करने की निबन्धन और शर्तें।"

आज्ञा से,

ए० बी० शुक्ला,

प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में गाय और गोवंशीय पशुओं के वध का निषेध करने और उसको रोकने के लिये उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1956) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम में बैल और सांड के वध को केवल विशिष्ट आयु तक ही निषेध किया गया है। चूंकि राज्य में बैलों और सांडों की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है अतएव यह विनिश्चय किया गया कि इन प्रजातियों को बनाए रखने के लिये उक्त अधिनियम को संशोधित करके इनके वध को पूर्णतः निषिद्ध किया जाय।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2002 को तदनुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 1750(2)/XVII-V-1—J(Ka)-28-2002

Dated Lucknow, September 12, 2002

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Govadh Nivaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2002) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 11, 2002.

THE UTTAR PRADESH PREVENTION OF COW SLAUGHTER (AMENDMENT) ACT, 2002 :

(U.P. Act no. 14 of 2002)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

furtherto amend the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act, 1955.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-third year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter (Amendment) Act, 2002. Short title
2. In section 2 of the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act, 1955, hereinafter referred to as the principal Act,—
 - (i) for clauses (a), (c) and (cc) the following clauses shall be substituted, namely:—

“(a) ‘beef’ means flesh of cow but does not include such flesh contained in sealed containers and imported as such into Uttar Pradesh;

(c) ‘Goshala’ means a Goshala registered under the Uttar Pradesh Goshala Adhiniyam, 1964;

(cc) ‘Institution’ means an institution established under section 6”;
 - (ii) clause (f) shall be omitted.
3. For section 3 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

“3. No person shall slaughter or cause to be slaughtered, or offer or Prohibition of cause to be offered for slaughter. a cow, bull or bullock in any place in Uttar Pradesh, anything contained in any other law for the time being in force or any usage or custom, to the contrary notwithstanding.”

Substitution of section 3
4. Section 4 of the principal Act shall be omitted. Omission of section 4
5. In section 5-A of the principal Act, in sub-section (2) for the words “five rupees” the words “five hundred rupees” shall be substituted. Amendment of section 5-A

Insertion of
Section 6

6. After section 5-A of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely :-

"6. There shall be establish by the State Government or by any Establishment local authority wherever so directed by the State of Institution Government or by a society registered under the Societies Registration Act, 1860 with prior permission of the State Government under such terms and conditions as may be prescribed, institutions as may be necessary for taking case of cows, bulls or bullocks."

Substitution of
section 7

7. For section 7 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"7. (1) Any person may surrender his cow, bull or bullock to a Goshala or Maintenance of an institution which shall accept such cow, bull or cows, etc. bullock according to the availability of accommodation. Any cow, bull or bullock so surrendered shall not be returned to such person.

(2) The State Government may make such other alternative and additional arrangements for taking care of such cows, bulls or bullocks as it may deem necessary.

(3) Any Goshala or any institution may receive any cow, bull or bullock for custody from police or any other person which may be released to the owner on such terms and conditions and in such manner and on payment of such charges as may be prescribed."

Substitution of
section 8

8. For section 8 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"8. (1) Whoever contravenes or abets the contravention of the provisions Penalty of section 3, section 5 or section 5-A shall be punished with regorous imprisonment for a term which may extend to seven years and with fine which may extend to ten thousand rupees.

(2) Whoever attempts to commit an offence punishable under sub-section (1) shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one-half of the longest term of imprisonment provided for that offence and with such fine as is provided for the offence."

Amendment of
section 10

9. In section 10 of the principal Act, in sub-section (2),-

(a) clauses (a), (aa), (b) and (c) shall be omitted.

(b) for clause (d) the following clauses shall be substituted, namely:-

"(d) the procedure for surrender, acceptance custody and release of cows, bulls or bullocks;

(dd) the terms and conditions of release of cows, bulls or bullocks."

By order,
A.B. SHUKLA,
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 (U.P. Act, no. 1 of 1956) has been enacted to prohibit and prevent the slaughter of cow and its progeny in the State of Uttar Pradesh. In the said Act the slaughter of bull and bullock is prohibited only upto a particular age. As the number of bulls and bullocks is consistantly decreasing in the State, It has been decided to impose complete prohibition on the slaughter thereof in order to preserve these species by amending the said Act.

The Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter (Amendment) Bill, 2002 is introduced accordingly.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 563 राजपत्र (हि०)-(1318)-2002-597-कम्प्यूटर/आफसेट।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 167 सा० विधा०-(1319)-2002-850-कम्प्यूटर/आफसेट।